गई हैं । सुरक्षा उपायों के साथ-साथ जोखिम और खतरे के लिये बीमा का प्रावधान किया जाना चाहिये । इसके साथ ही समाचारपत्र प्रतिष्ठानों पर काम पर कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रितों का चिकित्सा बीमा कराने के लिये प्रावधान किया जाना चाहिये । मजदूरी, समयोपरि पद्धति और अदायगी की समिति के द्वारा अध्ययन करने का सुझाव दिया गया हैं तदनुसार भारत सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य कर्मकारों जिसमें समाचारपत्र प्रतिष्ठानों और न्यूज एजेंसी के लिये पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिये चिकित्सा भत्ता छुट्टी यात्रा रियायत समयोपरि भत्ता शामिल हैं, की जांच करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का तथा सरकार से उपयुक्त सिफारिश करने का निर्णय लिया हैं ।

कुमारी आलिया: मेरा क्वैश्चन पहले पूछा जा चुका हैं ।

Minimum price of agricultural land

143 SHRI RAM NARESH YADAV: Will the. Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Deihi Admiinstration have recently fixed the minimum price of the agricultural land acquired by it:

(b)'. if so. what are the detail, thereof

(c)′ whether Government have also fixed the maximum price of residential plots to protect the interests of the common man;

(d) if so, what are the details there of

(c) do not what are the seasons there-for; and

(f) by when the . maximum price at the same is likely to. be fixed?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (f) A Statement is lata on the Table of the Sabha.

Statement

!,a) and (b) The Delhi Administration have with effect from 27th April, 1990 fixed minimum price of agricultural land at Rs, 4.65 lakhs per acre (Rs. 1.5 lakh per acre for land in the river bed enclosed between the forward bunds) for the purposes of registering transactions in respect of agricultural lands. This will be the basis for calculating the amount of compensation under the Land Acquisition Act, when such land i; notified for acquisition. Besides, 30 per cent solatium and other benefits provided under the Land Acquisition Act, would also be payable.

(c) to (f) No, Sir. The fixation of prices of residential plots would depend upon the cost of the land to be acquired in future and the cost of development.

श्री राम नरेश यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न किया था उसका स्पष्ट उत्तर जानबूझ कर नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है । मैंने पूछा था क्या यह क्या सच कि दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में अपने द्वारा अधिगृहीत कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया है । इसके उत्तर में आपने कहा है कि दिल्ली प्रशासन ने कृषि भूमि के बारे में सौदों के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ 27 अप्रैल, 1990 से कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य 4.65 लाख रुपये प्रति एकड़ (फारवर्ड बन्धों के साथ लगे हुये नदी तल के लिये 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़) निर्धारित किया है । महोदय प्रश्न यह है कि दिल्ली में जिस तरह से आबादी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरह से सारे क्षेत्रों में मंहगाई बढ़ती चली जा रही है ऐसी स्थिति में किसान की जमीन की भी मालियत और उसको जो पैसा मिलना चाहिये उसका भी बढ़ना स्वाभाविक है । दिल्ली में करीब 360 गांव है । जिस तरह से किसानों की जमीन अधिगृहीत की जा रही है उससे जो किसान का शोषण हो रहा है उस शोषण से लगता है कि दिल्ली में अलग से एक अभिजात्य वर्ग को प्रश्रय देने के लिये किसान का

शोषण करके सारी कार्यवाही हो रही है, जब मैं यह बात कहता हूं तो उसके पीछे यह है कि उनकी जमीन बहुत सस्ते रेट पर एक्वायर की जाती है लेकिन दूसरों को चार हजार रुपये, आठ हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, यह जो प्रश्न मैंने किया था, जैसे कि आप कहते हैं सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुये, आपने सर्वे कराया होगा, स्थिति का अध्ययन किया होगा, इसलिये उस अध्ययन करने के पश्चात् मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक एकड़ को अधिग्रहण करने का कितना मूल्य किसान को आप देंगे या कितना मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से उसको आप देंगे, आपके हिसाब से कितना आ रहा है? मेरे प्रश्न का भाग (ब) यह है कि यह जो अन्तर है दूसरों को देने का जैसे कि आप लेते तो बहुत सस्ते दामों पर हैं और दूसरों को आप चार हजार, आठ हजार रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से देते हैं तो यह जो अन्तर बढ़ रहा है तो क्या यह अन्तर चार हजार, आठ हजार रुपये गज रहेगा या इससे और भी बढ़ेगा? इस प्रश्न का भाग (स) मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अन्तर को कम करने के लिये क्या सरकार विचार करेगी, अगर विचार कर रही है तो उसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

SHRI MURAS0L1 MARAN; Sir, the hon. Member is very right that agricultural lands have been acquired by the Delhi Administration without paying adequate compensation and if you compare it with the sale of the same land after development, it looks ludicrously low. That is why, recently, the Lt. Governor has increased the compensation—that is the minimum price—to Rs. 1.5 lakh per acre for the land situated in the river bed and Rs. 4.6 lakhs per acre for a!! other agricultural lands. Sir, I would say, this is for the first time that such an increase has been given to the farmers. Look at the price which they have been receiving earlier. In a place like Bardhan, West Delhi, last year, they got only Rs. 60,000 per acre; in Keshopur, West Delhi, Rs. 1.68 lakh per acre; in Ranpuri, South Delhi, Rs. 1.25 lakh per acre; in Jagatpuri, North-Delhi, Rs. 71,000- per acre. This is the compensation awarded during 1989-90. That is why, this is a very historical decision and we should appreciate that decision taken by the Lt, Governor and the Delhi Administration. Sir, there is no such price as correct price because what si cor-rect today may not be correct tomorrow. What happens after the land is acquired? You know, we have to pay for their development. All this increases the cost. So, we cannot compare both the things.

श्री रामनरेश यादव: मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर को टाल दिया है। मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि आज की स्थिति में जब आप इसका हिसाब लगा रहे हैं तो उस समय जोड़ने के बाद कितना रुपया बनता है। इसलिये कि जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है, मंहगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितना लगाया नम्बर एक, और दूसरा है जब दूसरों को 4 हजार, 8 हजार रुपये गज के हिसाब से दे रहे हैं, विकास और सारी चीजों को जोड़कर तो इसमें जो अन्तर है वह इतना क्यों है, इसको कम करने के लिये क्या कदम उठाये हैं' माननीय मंत्री जी ने इसका तो उत्तर नहीं दिया। मैं फिर उत्तर जानना चाहता हूं। साथ ही साथ एक दूसरा प्रश्न है कि जो आप कहते हैं अन्य सुविधायें भी उनको दी जाएंगी तो वे अन्य सुविधायें कौन सी हैं जो आप उनको देने जा रहे हैं क्योंकि आपका कहना यह है कि पिछले वर्ष में जो दिया जा रहा है उससे हमने बढ़ाकर दिया है। महोदय' प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि आज जिस तरह से जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न को पूछ रहा हूं कि सचमुच में इस स्थिति में आज के संबंध में जब आपने 27 अप्रैल को यह नोटीफिकेशन किया तो क्या दाम रहा है और उसी हिसाब से दूसरों को देने जा रहे हैं वो उस दिन क्या 4 हजार, 8 हजार गज के हिसाब से जो दिया जाता रहा है उसको आप

मेन्टेन करेंगे, रिटेन करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या परिस्थिति है जिसके आधार पर उसके दाम और बढ़ाते चले जायेंगे, मैं यह उत्तर जानना चाहता हूं।

SHRl MURASOLI MARAN; Sir. perhaps. I have not made is very clear. The price of Rs. 4.65 lakhs per acre is just the minimum price. So, if the farmer feels that he has not been rendered justice and demands more price, he can marshal frets before the court and get the maxi-mum price.

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, दिल्ली के किसानों को जो मुआवजा उनकी कृषि भूमि का दिया जा रहा है और जो राष्ट्र में दूसरी जगह भी दिया जाता है वह सब भू अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाता है जो लगभग 80-90 साल पुराना उपनिवेशवादी एक कानून है। जब तक यह अधिनियम बना रहेगा तब तक कभी भी किसान को उसकी भूमि का सही मुआवजा नहीं मिल सकता है क्योंकि वह अधिनियम तो अंग्रेजों ने इस सिद्धांत के आधार पर बनाया था कि भूमि एक सम्पत्ति जबकि भारत में भूमि और मनुष्य का संबंध सम्पत्ति और मनुष्य के बीच का संबंध नहीं है...।

श्री सभापति : आपका प्रश्न यह है कि क्या उसको रिवाइज करने की बात सोच रहे हैं?

श्री अजीत जोगी : तो यह एक मौलिक प्रश्न है कि भू अर्जन अधिनियम जो कि सम्पत्ति और मनुष्य के संबंध पर आधारित है उसको परिवर्तित कर के ऐसा कोई अधि-नियम बनाया जायेगा जो भारत की परम्परा के अनुकूल हो जहां हम भूमि को अपनी मां मानते हैं उसके अनुकूल कोई अधिनियम बनाने के संबंध में क्या शासन मौलिक रूप से विचार करेगा जिससे ये जो शिकायतें हैं वे दूर हो सकें।

SHRI MURASOLI MARAN; Sir, the hon. Member has not specifically stated which part of the section is injurious to all of us.

SHRI AJIT P. K. JOGI; The entire Act itself is colonial. It is based on the principle that land is a property. What I am saying is that we regard the land as our mother. Would you consider revising the entire Act itself?

SHRI MURASOLI MARAN; Sir, if we consider land as mother, nobody will acquire a mother. Then it will create a lot of problems.

SHRI AJIT P. K. JOGI; If you do not consider so, then you are going contrary to our tradition. *(Interruptions).*

SHRI SIKANDER BAKHT: Will the Minister be pleased to state whether the price of the land has been fixed keeping in view the date on which the land was notified under section 4 or the date on which it was acquired? That is one part. The other part is, will he please state, while computing the price of the flats, what is the relationship of the price of the land for the flat with the price of the acquired land?

SHRI MURASOLI MARAN; Sir, with the recent amendment in the Act if section 4 is invoked, then the entire process should be over within three years. If section 6 is invoked, after that, it should be over within two years. Besides this price, all the farmers are getting 30 pel cent as solatium. Plus, if the amount is delayed, they get adequate interest.

SHRI 'SIKANDER BAKHT: I am sorry. My question has not been answered. *(Interruptions).* There were two questions. When you compute the compensation for the land, do you keep in view the date on which it was notified under section 4 or the date on which it was aquired actually?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I require notice for this specific part of it. There are two parte. One is notification. The other is acquisition under section 6. I require notice.

SHRI SIKANDER BAKHT: There is another part of the question. When you fix the price of the flats, you compute and fix the price of the Land also. Does

it have any relationship with the compensation that you pay fot the land acquired?

SHRI MURASOLI MARAN: Naturally it is taken into account. That forms the bedrock. That is, we start computing it with the cost of acquisition of the land.

श्री मोहिंदर सिंह लाथर : सभापति जी आज के "जन संदेश" हिन्दी में खबर छपी है कि दिल्ली प्रशासन ने अमिताभ बच्चन को बड़ा जमींदार कैसे बनाया करोड़ों की जमीन दिल्ली के अंदर उन्होंने हथियाई। मैं यह माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहूंगा कि लाखों रुपये की जमीन को उन्होंने दस-दस बीस-बीस और तीस-तीस हजार तक की रजिस्ट्री करवाई है और अकेले अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में 150 बीघा जमीन हथियाई है और उसके साथ ही राजेश खन्ना ने भी यहां पर करोड़ों की जमीन कोड़ियों के भाव खरीदी दिखाई है जिससे कि इन्कम-टैक्स की भी चोरी हुई स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी हुई और दिल्ली की जमीन की कीमतें बढ़ी हैं।

क्या यह फैक्ट्स मंत्री महोदय के नोटिस में हैं? क्या सरकार इसमें कोई कार्यवाही करेगी इसकी जांच-पड़ताल करेगी कि जो लाखों का चूना सरकार को लगाया गया जमीन के घपले में उसकी इंक्वायरी करेगी और सदन के सामने तथ्य पेश करेगी?

श्री सभापति : इससे तो यह सवाल उठता नहीं है। यह तो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर करने का है। अगर वह चाहें तो बता दें।

SHRI MURASOLI MARAN: I have no information about these cases. Sir, regarding the earlier question, now I have got the answer. According to the information given to me,...

MR. CHAIRMAN: You are going back to it!

SHRI MURASOLI MARAN; I am completing it It would apply in all cases where land has been notified under section 4 of the Land Acquisition Act.

श्री मोहिंदर सिंह लाथर : सभापति जी यह जमीन की कीमत का ही मामला है सर। मैंने माननीय मंत्री के नोटिस में लाया कि बीस हजार से लेकर चालीस-पचास हजार की रजिस्ट्री करवाई गई। यह थोड़ी सी जमीन की नहीं 150 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई। क्या यह सरकार के नोटिस में है कि किस तरह से यह जमीन का घपला किया गया और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी तथा इन्कम टैक्स की चोरी हुई और यहां की जो कीमत बढ़ी हैं यह किस हिसाब से किया गया है?

क्या यह मंत्री जी के नोटिस में हैं— यह आज के दैनिक जन संदेश अखबार में जो मोटी खबर छपी है?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, *X* have no information. I will bring it to-the notice of the authorities concerned.

MR. CHAIRMAN: It does not arise-out of the question.

SHRI N.K.P. SALVE: My supplementary is with reference to the answer of the Minister in Sub-paragraphs (c) to-(e). Sir, real estate in Delhi is more expensive—people who are in the know of things say—than what it is London and: New York and the entire responsibility for this is squarely on the Delhi Administration. Racketeering and profiteering through DDA have been going on; the DDA, its contractors and its builders in Delhi have played havoc. Whereas I do welcome this measure of 22nd April, 1990 to the extent it deals with private transactions—well it is reasonable but so far as the compensation under the Land Ac-quisition Act is concerned, it is equal-ly important that when you buy this land at throw-away prices, you Should make it available to the real builder. The real builder means the owner and not the builder who comes as a contractor for this land. Are you willing to adopt a policy in terms of which the profit which

the DDA would make,, that is, the acqu-ring authority, would be a certain percentage only? If they acquire a piece of land, say for a hundred thousand rupees, they should not sell that particular land for more than one lakh or ten thousand or something because your answer is so vague that fixing of prices of residential plots would depend upon the cost of land. What does it mean? It does not answer the real question. Suppose the cost of land is one lakh rupees and they fix it at 50 lakh rupees as they have been doing. They have acquired land for as much as one thousand rupees.. . *(Inter-ruptions)* . . .

MR. CHAIRMAN; You talk about the present. This is about the future.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, it means present and future both. My Submission is, this is very vague and this is delightfully vague that they will acquire land •for one thousand and sell it for five lakhs of rupees. That is what the have been doing. My question *is,* what measures you are adopting to ensure that you do not carry on with the profiteering or racketeering the way it has been carried on? Do you think of disbanding the DDA and taking over the matter in the Ministry itself?

MR. CHAIRMAN: His question is, are you thinking of disbanding the DDA and taking over the whole thing in your Ministry?

SHRI MURASOU MARAN: Sir, he is So affectionate that he wants to give additional headache to me, but I am not prepared for it. Sir, cost of the flat is computed on the basis of the land acquired. That means, one of the components is the price of the land prevailing then.

SHRI N.K.P. SALVE: Plus profit.

SHRI MURASOLI MARAN: No, the future development that may have to take place so that the land becomes available for construction.

SHRI N.K.P. SALVE: You mean, it is only the prime cost plus development and no profit is involved?

SHRI MURASOLI MARAN Yes, that is what the DDA says. The DDA is supposed to be a non-profit-making organi-sation. Sir, they spend a lot of money in cross subsidy. For example, for economicaly weaker sections they sell at a low price, for the middle-income group slightly higher, for the high-income group still more higher and for higher-income group they auction it with an upset price. Be-cause of the cross subsidy, they are not at all making any profit.

रोजगार गारंटी योजना के संबंध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

*144. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रति-क्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र की आदर्श रोजगार गारंटी योजना को अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसी कि वित्त मंत्री ने वर्ष 1990–91 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है सरकार देश के चुने हुए क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन० आर० ई० जी० पी०) शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री सभापति : उन्होंने महाराष्ट्र का पूछा है। उनका जो प्रश्न है वह विशेष रूप से महाराष्ट्र पर ही है। उन्होंने नाम